



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243579
CG-DL-E-14022023-243579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944

No. 621]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

का.आ. 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईनस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं. 289 भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 24 जनवरी 2022 में पृष्ठ सं. 5 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 297 (अ) तारीख 20 जनवरी 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

अनुसूची

जिला : कामरूप (मेट्रो)		सर्कल: सोनापुर				राज्य : असम			
गाँव	मौज़ा	के स्थान पर				पट्टे			
		दाग नं	क्षेत्रफल			दाग नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर		हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सोनापुर	सोनापुर	769	00	13	09	369	00	13	09

[फा. सं. एल -14014/239/2021-जीपी-II(ई-41159)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th February, 2023

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S. O. 297 (E) dated 20th January 2022, published at page 7 in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India No. 289, dated 24th January 2022, namely:-

SCHEDULE

District: Kamrup (Metro)		Circle: Sonapur				State: Assam			
Name of Village	Name of Mauza	For				Read			
		Dag No.	Area			Dag No	Area		
			Hec	Are	Sqm		Hec	Are	Sqm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sonapur	Sonapur	769	00	13	09	369	00	13	09

[F. No. L-14014/239/2021-GP-II(E-41159)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.